


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>22/1/21</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई।          लोक स्थान कार्यकारी ने जो प्रकृत गेजा उर्फ          जति इस कामकाज को उपर की है। अपीलकर्ता को          कपल पत्र रखते हेतु उपर रखे से उपर होना चार गे है          सकता है इस बाबत नोटिस जारी होकर फावली दिनांक          9/2/21 को पेश हो।</p>	
<p>9/2/21</p>	<p>जिला कलेक्टर, पाली          पत्रावली आज पेश हुई।          साबिका आदेश की पालन की जाकर          पत्रावली दिनांक 5/3/21 को पेश हो।</p>	<p>334          17/02/21</p>
<p>5/3/21</p>	<p>पत्रावली आज पेश हुई।          साबिका आदेश की पालन से एक          पत्र: अपीलकर्ता को जारी Regd-Act. देना          कपल पत्र रखते हेतु उपर रखे हेतु लिया जाकर          फावली दिनांक 30/3/21 को पेश हो।</p>	
<p>30/3/21</p>	<p>जिला कलेक्टर, पाली          पत्रावली आज पेश हुई।          साबिका आदेश की पालन की          जाकर पत्रावली दिनांक 23/4/21 को पेश हो।</p>	<p>564          01/04/21</p>
<p>23/4/21</p>	<p>जिला कलेक्टर, पाली          पत्रावली आज पेश हुई।          अपीलकर्ता श्री सुरेश कुमार स्वयं उपर हुका          उपर अपीलकर्ता ने बताया कि ग्राम पादरता वहां वाली          के खण्ड नं. खेतदारी करी है जिसे पदवर्ती ग्राम के ही          विभिन्न जाति समुदाय के लोगों ने मकान बना दिए हैं          तथा खेतदा इन्हें लग व पेशान कर उनके खपते मजदूरी          हेतु स्थिति के ही इसके समाधान हेतु यह RTI प्रश्नपत्र          पेश किया है। इस आयालय में उपर गेजे या अपीलकर्ता          को RT Act की धारा 177 के तहत सशुभ आयालय          में करी को खेतदारी से सियासत चोखित करके          हेतु वाद प्रस्तुत किया हेतु समसामय की गैर तथा          सियासत चोखित के होने या कावरी हेतु कावेर के लिए          पेशान से कार्यवाही कराते हेतु समसामय की गैर अपीलकर्ता</p>	

तारीख  
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए

समस्तारित से सहमत होकर गए हैं। इसी स्थिति में  
इपरोक्ष तथ्यों के मध्य लंबा सूचना के कोषिका  
के तहत प्रानुत इस अपील के माध्यम से अपीलार्थी  
कठोरता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसी सूचना  
अपीलार्थी को उपलब्ध करा दी गई है। इस अपील के  
सेफ्टी के अपीलार्थी ने दुपुत्री लिखते से इन्कार किया है।  
प्रानुत अपील के सब सिद्ध प्रकार की कार्यवाही  
अपेक्षित नहीं है। अपीलार्थी को कठोरता प्राप्त  
करने हेतु मांग केंद्र दिया जा रहा है। इसी स्थिति  
में इस अपील के सेफ्टी के सिद्ध प्रकार की  
कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अपीलार्थी रा. का.  
अध्या. की धारा 177 के तहत सशक्त न्यायालय के  
बाद वापस करवा का कोषित कठोरता प्राप्त कर  
सकता है। अतः यह अपील इसी स्थिति या  
स्वाभिज्ञ की जाती है।

पत्रावली व स न्यायालय से  
शुका. केसल की आकर नम्बर से करेगा

जिजा कलेक्टर, पाली